न्यायालय सहायक कलक्टर (ACEM), नाथद्वारा, जिला–राजसमंद

(पीठासीन अधिकारी :–श्रीमति रक्षा पारिक,R.A.S.)

प्रकरण संख्या:– 2023/1398 राजस्व वाद   निर्णय दिनांक– 10.09.2025

अनवान

1. केशुलाल उर्फ केशवलाल पिता नारू जी डांगी, जाति डांगी, आयु 56 वर्ष, निवासी–सिन्धु, तहसील मावली, जिला उदयपुर।

.... वादी

बनाम

1. पता बाई पत्नि भुरा जी डांगी, जाति डांगी, आयु वयस्क, निवासी–मजेरा, तहसील नाथद्वारा हाल तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद।
2. पुष्कर पिता भुरा जी डांगी, जाति डांगी, आयु वयस्क, निवासी–मजेरा, तहसील नाथद्वारा हाल तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद।
3. हेमी पुत्री भुरा जी डांगी, जाति डांगी, आयु वयस्क, निवासी–मजेरा, तहसील नाथद्वारा हाल तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद।
4. दौला पिता माना जी डांगी, जाति डांगी, आयु वयस्क, निवासी–मजेरा, तहसील नाथद्वारा हाल तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद।
5. नारायणदास पिता नदंराम जी वैष्णव, जाति वैष्णव, आयु वयस्क, निवासी देलवाडा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमंद।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय नाथद्वारा हाल तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद।

.... प्रतिवादीगण

वाद बाबत् घोषणा एवं राजस्व रेकर्ड में अंकन एवं स्थाई निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक आज्ञा

उपस्थित :– अधिवक्ता श्री संदीप सनाढ्य, अधिवक्ता वादी।

प्रतिवादीगण बावजूद सुचना अनुपस्थित रहने से कार्यवाही एक–तरफा।

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम मजेरा, पटवार हल्का बिलोता, तहसील नाथद्वारा हाल तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद में निम्न विवरण की कृषि भूमियां स्थित है।

खाता संख्या नया 159 पुराना 158 में वर्णित आराजीयात् खसरा संख्या 761 कुल किता 01 कुल रकबा 01–00

वाद पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित कृषि आराजीयात् जो वर्तमान प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है जिसमें से प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के पूर्वाधिकारी भुरा पिता माना डांगी, निवासी मजेरा द्वारा एक कृषि भूखण्ड जिसकी साईज उत्तर से दक्षिण चौडाई 30 फीट एवं पूर्व से पश्चिम लबांई 45 फीट होकर कुल क्षैत्रफल 1350 वर्गफीट भूमि जिसके पडौस निम्न है–

पूर्व– पडत भूमि विक्रेता स्वंय की

पश्चिम– सडक पुरानी

उत्तर– देवीलाल पिता रामा जी डांगी का भूखण्ड

दक्षिण– दौला पिता माना डांगी का खेत

सहायक कलक्टर
नाथद्वारा, जिला–राजसमन्द

उपरोक्त पडौसों के मध्य स्थित कृषि भूमि को प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के पूर्वाधिकारी भूरा जी द्वारा जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र दिनांक 03.07.1993 द्वारा 18,000/– अठारह हजार रूपये में वादी को विक्रय किया गया। उक्त भूमि जो कलम संख्या 01 में वर्णित कृषि आराजी पर स्थित है और वादी उक्त भूमि का एकमात्र स्वामित्व एवं आधिपत्यधारी है। उपरोक्त पडौसों के मध्य स्थित कृषि भूमि जो राजस्व रेकर्ड में वादी के नाम पर दर्ज नहीं होने के कारण प्रतिवादी संख्या 01 से 03 उक्त भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय हस्तांतरण करने पर आमादा है तथा प्रतिवादीगण, वादी के हक व हिस्से की भूमि में भी आये दिन दखलअंदाजी उत्पन्न करते है और वादी को धमकी देते है कि वे उक्त भूमि से वादी को बेदखल कर देगें। वादी द्वारा उक्त कृषि भूमि क्रय करने से आज दिनांक तक उक्त कृषि भूमि पर आज दिनांक तक वादी का कब्जा काश्त एवं स्वामित्व चला आ रहा है। वादी द्वारा ही उक्त क्रयशुदा कृषि भूमि पर कृषि कार्य पर उसका उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है। वाद पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि जिसमें से वादी द्वारा 1350 वर्गफीट भूमि प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के पूर्वाधिकारी भुरा से क्रय की गई थी तब से उक्त क्रयशुदा कृषि भूमि का एकमात्र स्वामित्व एवं आधिपत्यधारी वादी है परन्तु राजस्व रेकर्ड में उक्त क्रयशुदा भूमि वादी के नाम पर दर्ज नहीं होने से प्रतिवादीगण आये दिन वादी के हक व हिस्से में दखलअंदाजी उत्पन्न करते है और प्रतिवादी संख्या 01 से 03 द्वारा वादी को अपन हक व हिस्से की क्रयशुदा भूमि से बेदखल करने की धमकी देते है जिस कारण वादी, वाद पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित आराजीयात् में से अपने खरीदशुदा 1350 वर्गफीट भूमि को अपने नाम खातेदार घोषित कराकर राजस्व रेकर्ड में अंकन कराने का अधिकारी है। वाद पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित आराजीयात् प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज होने के कारण प्रतिवादीगण आये दिन वादी को बेदखल करने की धमकी देते है और उसके हक व हिस्से में भी दखलअंदाजी पैदा करते है जिस कारण वादी, प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा भी प्राप्त करने का अधिकारी है तथा उक्त आराजीयात् से प्रतिवादी संख्या 01 से 03 द्वारा वादी को बेदखल कर दें तो पुनः स्थिति आदेशात्मक आज्ञा द्वारा यथावत् कराने का अधिकारी है। वाद कारण दिनांक 05.09.2019 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी संख्या 01 से 03 ने वादी को उक्त कृषि भूमि से बेदखल करने की धमकी दी तब से उत्पन्न होकर लगातार जारी है।

अतः प्रार्थना है कि–

वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्व इस आशय की घोषणा की डिक्री प्रचलित फरमाई जावें कि वाद पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित आराजीयात् जिसमें से वादी द्वारा जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र दिनांक 03.07.1913 द्वारा क्रयशुदा 1350 वर्गफीट भूमि का खातेदार वादी को घोषित फरमाया जावें इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम अंकन किया जावें। वादीया के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्रचलित फरमाई जावें कि वाद पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित आराजीयात् जिसमें से वादी द्वारा क्रयशुदा भूखण्ड के उपयोग–उपभोग में प्रतिवादीगण किसी प्रकार से कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करें, वादी को बेदखल नहीं करें और बेदखल कर देवें तो आदेशात्मक आज्ञा द्वारा पुनः पूर्ववत् स्थिति कायम फरमाई जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन/नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत् 05 बावजूद सुचना अनुपस्थित रहने से प्रकरण में इनके विरूद्व कार्यवाही एक–तरफा करने के आदेश दिए जाते है। प्रकरण में न्याय निर्णयन् हेतु तहसीलदार देलवाडा से मौका रिपोर्ट ली जाना आवश्यक होने से प्रकरण में तहसीलदार देलवाडा को वादग्रस्त आराजीयात् की मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। तहसीलदार देलवाडा द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवदेन किया गया कि न्यायालय के प्रकरण संख 2023/1398 केशुलाल उर्फ केशवलाल पिता नारू डांगी बनाम पता बाई पत्नि भूरा डांगी से संबंधित राजस्व ग्राम मजेरा पटवार हल्का बिलोता , तहसील देलवाडा के खाता संख्या नया 160 पुराना 159 के आराजी संख्या 761 कुल किता 01 कुल रकबा 1 बीघा 10 बीस्वा(0.3794 है.) भूमि के मौके की रिपोर्ट इस प्रकार है:–

सहायक कलक्टर
नाथद्वारा, जिला–राजसमन्द

1. वर्तमान में आराजी संख्या 761 रकबा 0.3794 हैक्टेयर संयुक्त खाते में 1. कंवरीबाई पत्नि स्व.देवा 7/108 2. गेबीलाल पुत्र देवा 7/108 3. गीता पुत्री देवा 7/108 4. दौला पुत्र माना 1/3 5. नारायणदास पुत्र नंदराम 1/108 वैष्णव 6. पताबाई पत्नि भुरा 1/9, 7. पुष्कर पुत्र भूरा 1/9 8. वालुराम पुत्र देवा 7/108 9. श्यामा पुत्र देवा 7/108 10. हेमा पुत्र भुरा 1/9 डांगी के नाम पर दर्ज है।
2. आराजी संख्या 761 में ग्राम मजेरा मौके पर स्थिति हेतु नजरी नक्शा पेश है।
3. नजरी नक्शा में लाल स्याही से दर्शाया स्थल जिसके उत्तर में देवीलाल पिता रामा का प्लाट मौके पर रेकर्ड में विक्रेता की पत्नि पताबाई एवं अन्य सहखातेदार है दक्षिण में दौला पिता माना डांगी की कृषि भूमि जिसमें विक्रेता की पत्नि पताबाई सहखातेदार है। पश्चिम में पुरानी सडक के पडोसा होकर उत्तर से दक्षिण 30 फीट एवं पूर्व से पश्चिम 45 फीट कुल 1350 वर्गफीट पर एक 2 फीट उंची दीवार बनी होकर दक्षिण पश्चिम कोने पर एक खण्डहरनुमा कमरा बना हुआ है तथा उत्तर पश्चिम कोने में एक छोटी फाटक लगी है। मौतबिरान ने जाहिर किया कि यह दीवार एवं कमरा श्री केसुलाल पिता नारू डांगी निवासी सिन्दु द्वारा बनवाया गया है तथा इसे अनवरत रूप से काम ले रहे है। मौतबिरानों के अनुसार जिसे प्रतिवादी के पति श्री भूरा पिता माना डांगी द्वारा वादी को विक्रय किया गया। वर्तमान रेकर्ड में उक्त भूखण्ड 1. कंवरीबाई पत्नि स्व.देवा 7/108 2. गेबीलाल पुत्र देवा 7/108 3. गीता पुत्री देवा 7/108 4. दौला पुत्र माना 1/3 5. नारायणदास पुत्र नंदराम 1/108 वैष्णव 6. पताबाई पत्नि भुरा 1/9, 7. पुष्कर पुत्र भूरा 1/9 8. वालुराम पुत्र देवा 7/108 9. श्यामा पुत्र देवा 7/108 10. हेमा पुत्र भुरा 1/9 डांगी के नाम पर दर्ज है। प्राप्त रिपोर्ट को शामिल पत्रावली किया गया। वादी की ओर से वादी स्वंय उपस्थित होकर शपथ–पत्र Pw-1 पूर्व में पेश किया गया। वादी अधिवक्ता ओर साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है। साक्ष्यवादी बंद की जाकर, वादी अधिवक्ता द्वारा की गई एकपक्षीय बहस सुनी गई।

वादी अधिवक्ता द्वारा की गई एकपक्षीय बहस पर चिंतन एवं मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तो जाहिर आया कि वादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श–3 का अवलोकन करने पर वादी द्वारा दिनांक 03.07.1993 को राशि 1800–/ रूपये प्रतिफल अदा कर वादग्रस्त भूमि के पूर्वाधिकारी भुरालाल से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के वादग्रस्त भूमि में से 1350 वर्गफीट भूमि क्रय की गई है अर्थात् वादी एक सद्भावी क्रेता है एवं तहसीलदार रिपोर्ट से स्पष्ट है कि विक्रय पत्र प्रदर्श–3 में अंकित पडौसों के मध्य वादी का ही कब्जा है ऐसी स्थिति में वादी के नाम पर तत्समय नामान्तरकरण दर्ज नहीं कर एक विधिक् त्रुटि हुई है एवं इसका नामान्तरकरण अब भी दर्ज नहीं किया जाता है तो वादी (सद्भावी क्रेता) के हक–अधिकारों का हनन होगा। जिससे वादी का वाद दस्तावेजी साक्ष्य के जरिये सिद्व हो, न्यायसंगत होना प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार देलवाडा की रिपोर्ट अनुसार वादपत्र सिद्व होने से वादी का वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम मजेरा, पटवार हल्का बिलोता, तहसील नाथद्वारा हाल तहसील देलवाडा की वादग्रस्त आराजी संख्या 761 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा में से विक्रय पत्र में अंकित चारों पडौसों के मध्य की भूमि का रकबा 1350 वर्गफीट भूमि का वादी को खातेदार, काश्तकार घोषित किए जाने के आदेश दिए जाते है एवं इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादी की क्रयशुदा भूमि के उपयोग–उपभोग में प्रतिवादीगण किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें और न ही किसी अन्य से करावें। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड में अंकन किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार देलवाडा को लिखा जावें। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा पृथक् से कायम किया जाकर। पत्रावली फैसल शुमार हो/नबंर से कम होकर/दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
नाथद्वारा, जिला–राजसमन्द

यह निर्णय आज दिनांक 10.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर। न्यायालय की गोल मोहर द्वारा जारी किया गया।

(रक्षा पारिक, **RAS**)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट नाथद्वारा
सहायक कलक्टर
नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द

संख्याक नं. 1

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

(Civil Procedure Code Appendix D)

न्यायालय सहायक कलक्टर (ACEM), नाथद्वारा, जिला–राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :–श्रीमति रक्षा पारिक,**R.A.S.**

प्रकरण संख्याः– 2023/1398 राजस्व वाद

अनवान

1. केशुलाल उर्फ केशवलाल पिता नारू जी डांगी, जाति डांगी, आयु 56 वर्ष, निवासी–सिन्धु, तहसील मावली, जिला उदयपुर।

.... वादी

बनाम

1. पता बाई पत्नि भुरा जी डांगी, जाति डांगी, आयु वयस्क, निवासी–मजेरा, तहसील नाथद्वारा हाल तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद।

.... प्रतिवादीगण

वाद बाबत् घोषणा एवं राजस्व रेकर्ड में अंकन एवं स्थाई निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक आज्ञा

उपस्थितः– अधिवक्ता श्री संदीप सनाढ्य, अधिवक्ता वादी।

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू मेरे हाजरी वादीगण मय अधिवक्ता श्री संदीप सनाढ्य एड. मिनजानिब मुदई व अधिवक्ता श्री .... पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि:–

वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार देलवाडा की रिपोर्ट अनुसार वादपत्र सिद्व होने से वादी का वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम मजेरा, पटवार हल्का बिलोता, तहसील नाथद्वारा हाल तहसील देलवाडा की वादग्रस्त आराजी संख्या 761 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा में से विक्रय पत्र में अंकित चारों पडौसों के मध्य की भूमि का रकबा 1350 वर्गफीट भूमि का वादी को खातेदार, काश्तकार घोषित किए जाने के आदेश दिए जाते है एवं इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादी की क्रयशुदा भूमि के उपयोग–उपभोग में प्रतिवादीगण किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें और न ही किसी अन्य से करावें। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड में अंकन किया जावें। नीज.....–...... मुबलिज –.... .–...... बाबत् –.....–... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर –.....–....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक –....–... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10.09.2025 को खुले न्यायालय में जारी की गई।

(रक्षा पारिक, **RAS**)

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट

नाथद्वारा

सहायक कलक्टर

नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द

मुदई	रूपया पैसा	मुदयलह	रूपया पैसा
स्टाम्प अर्जीनामा		स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प हाजरी	
स्टाम्प वजह सबूत		मेहनताना वकील पर	
मेहनताना वकील		खर्चा गवाहान्	
खर्चा गवाहान्		फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर		बबत् इजराय हुक्मनामा	
बबत् इजराय हुक्मनामा		मुतफरिक	
मुतफरिक		मिलान	
मिलान			

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर फरीकेन का चाहे डिकी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करने चाहिए।

(रक्षा पारिक, **RAS**)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
नाथद्वारा
सहायक कलक्टर
नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द

न्यायालय सहायक कलक्टर (ACEM), नाथद्वारा, जिला–राजसमंद

(पीठासीन अधिकारी :–श्रीमति रक्षा पारिक,R.A.S.)

प्रकरण संख्याः– 2023/1398 राजस्व वाद

निर्णय दिनांक– 10.09.2025

विस्तृत अनवान

1. केशुलाल उर्फ केशवलाल पिता नारू जी डांगी, जाति डांगी, आयु 56 वर्ष, निवासी–सिन्धु, तहसील मावली, जिला उदयपुर।

.... वादी

बनाम

1. पता बाई पत्नि भुरा जी डांगी, जाति डांगी, आयु वयस्क, निवासी–मजेरा, तहसील नाथद्वारा हाल तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद।
2. पुष्कर पिता भुरा जी डांगी, जाति डांगी, आयु वयस्क, निवासी–मजेरा, तहसील नाथद्वारा हाल तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद।
3. हेमी पुत्री भुरा जी डांगी, जाति डांगी, आयु वयस्क, निवासी–मजेरा, तहसील नाथद्वारा हाल तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद।
4. दौला पिता माना जी डांगी, जाति डांगी, आयु वयस्क, निवासी–मजेरा, तहसील नाथद्वारा हाल तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद।
5. नारायणदास पिता नदंराम जी वैष्णव, जाति वैष्णव, आयु वयस्क, निवासी देलवाडा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमंद।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय नाथद्वारा हाल तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद।

.... प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर ... नाथद्वारा, जिला–राजसमंद

(रक्षा पारिक, **RAS**)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
नाथद्वारा
सहायक कलक्टर
नाथद्वारा, जिला–राजसमन्द